

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या - 40/2021

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उपखण्ड

- 1 गोपाल पिता देवी ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 2 वालकिशन पिता देवी ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 3 महावीर पिता लालू ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 4 मांगीलाल पिता देवी ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 5 रामजीवण पिता देवी ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 6 लादूलाल पिता रामसुख ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 7 ओमप्रकाश पिता देवी ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- (प्रार्थीगण)

वनाग

- 1 माधु पिता उगमा कुमावत उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 2 महावीर पिता उरजण कुमावत उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 3 शंकर पिता रामसुख कुमावत उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 4 गंगाराम पिता नारायण कुमावत उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 5 गोकल पिता धन्ना कुमावत उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 6 भंवरलाल पिता भैरु कुमावत उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 7 ग्राम विकास अधिकारी देवरिया ग्राम पंचायत देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 8 देवी पिता मिश्री ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 9 नाथू पिता मिश्री ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 10 राजेन्द्र पिता उगमदास वैष्णव उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 11 कैलाश पिता बालु ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 12 शंकर पिता बालु ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 13 गोपाल पिता धन्ना ब्राह्मण उग्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 14 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- (अप्रार्थीगण)

उपरिथत-

प्रार्थीगण अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 22.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 17.03.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पनोतिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 339 के आ.न. 690 रकबा 0.04 हैक्टर, भूमि रिथत हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 23.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड में उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये।



सहायक कलेक्टर
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया दिनांक 22.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पनोतिया पटवार मण्डल देवरिया भूअ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 339 के आ.न. 690 रकबा 0.04 हैक्टर,भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजियात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
सहायक प्रमुख, फुलियाकला
जिला भूअ.नि. प्रशासक
फुलिया कला (भोच.)